

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 63]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 फरवरी 2019—माघ 29, शक 1940

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2019

क्र. एफ-01-09-2019-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा “मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018” में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम-5 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(3) (क) अध्यापक (व्यायाम शिक्षक), अध्यापक गायन/वादन एवं अध्यापक (उद्योग) को क्रमशः खेलकूद शिक्षक श्रेणी-ब, गायन/वादन शिक्षक श्रेणी-ब तथा माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा.”

2. यह संशोधन दिनांक 1 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

No. F-01-09-2019-XX-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following Amendment in the Madhya Pradesh School Education Service (Teaching Cadre), Service Conditions and Recruitment Rules, 2018, namely :—

AMENDMENT

1. In the said rules, in rule-5, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(3a) Adhyapak (PTI), Adhyapak Vocal/Instrumental and Adhyapak (Udyog) shall be Appointed for the post of Khelkood Shikshak Category B, Gayan/Vadan Shishak category B, and Madhyamik Shishak respectively.”

2. These amendment shall be deemed to have come into force from 1st July, 2018.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. द्विवेदी, उपसचिव.